


Form No. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर
सरकार बनाम रामप्रताप वगै

किस्म मुकदमा:- धारा अन्तर्गत 212 आरटीए

मुकदमा 46 / 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
19.03.2024	<p>यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार लूनकरणसर द्वारा पेश किया गया। सरिस्ते से रिपोर्ट बाद प्राप्त हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजि.एडी. नोटिस तलब किया जावे। इसके पश्चात् अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना-पत्र पर प्रार्थी तहसीलदार लूनकरणसर को सुना गया व पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रस्तुत रिकार्ड व प्रार्थी के शपथ-पत्र पर विश्वास करते हुए प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः प्रकरण में आरजीतौर पर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरुद्ध अप्रार्थीगण विवादित भूमि वाके रोही शरह बुचावास खसरा नंबर 189/111मे रकबा 1.74 हैक्टेयर भूमि में आगामी पेशी तक इस अमर की जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि पर मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। इसमें यदि अप्रार्थीगण को कोई उज्र या ऐतराज हो तो नियत पेशी को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करें। आदेश टी.आई. जारी हो। पत्रावली आयन्दा दिनांक 30.04.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>Tejendra</i></p>	<p>जारी</p> <p>370</p> <p>22/3/24</p>
30/04/24	<p>पत्रावली पेश हुई। रकबा परीकेन उप. वास्ते... 20/05/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>Tejendra</i></p>	
20/05/24	<p>पत्रावली पेश हुई। सी.अ. अवकाश / अन्य कार्यो में व्यस्त आयन्दा पत्रावली दिनांक 25/06 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>रीडर</i></p>	
25/06/24	<p>पत्रावली पेश हुई। रजिस्टर उपलब्ध, मजाली लिखन। तलब वाक्युड रजि. नोटिस उपलब्ध नहीं। अतः मजाली लिखन से रिपोर्ट एडवोकेट कानकारी के आदेश निवेदाने है। एडवोकेट काय वकल हेतु निवेदान रिजा गला। वकल खुनी गनी। उपलब्ध वकल एवं</p>	

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व र अहकाम उ हुकम की में जारी
---------------	-----------------------------------	---

पत्रावली में शामिल सातवें के आधारे
 पर परिणाम अन्तर्गत धारा 212 RTA
 आवरणगत जगत हेतु है। अतः न्यायद्वारा
 में पूर्व में जारी आधारे निवेदन
 को वाद पर के निर्णय तब कन्फर्म
 किया जाता है। पत्रावली निष्पत्ति में
 शुभारंभ होकर एक जगत साहित्य
 सफल है।



उपखण्ड अधिकारी
 लुणकरणसर